सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

कार्तिक 16, गुरूवार, शाके 1941-नवम्बर 7, 2019

Kartika 16, Thursday , Saka 1941- November 7, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2019

जी.एस.आर.39 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4घ के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 3 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम (1) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु इस नियम के अधीन यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम है तो एक लाख रुपये की रकम से कम रह गयी रकम, एक वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत की जायेगी और द्वितीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त सम्पूर्ण शेष रकम व्यपगत हो जायेगी।";

(iii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "50,000/-रु. (रुपये पचास हजार)", के स्थान पर अभिव्यक्ति "1,00,000/- रु. (एक लाख रुपये)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 7(2)संसद/2019]

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 07, 2019

G.S.R.39 .-In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 4D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of April, 2019.

2. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression, "rupees fifty thousand", the expression "rupees one lakh" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (1), for the existing punctuation mark".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if the total amount of reimbursement received in a financial year under this rule is less than one lakh rupees, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh rupees shall be carried forward for one financial year and the whole amount remained unutilised at the end of second financial year shall stand lapsed."

(iii) in sub-rule (3), for the existing expression "Rupees 50,000/- (Rupees fifty thousand)", the expression "Rupees 100,000/- (rupees one lakh)" shall be substituted.

[No. F.7(2)Sansad/2019]

By Order of the Governor,

Vinod Kumar Bharwani,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.